ई-मेल

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)–462 011

क्रमांक एफ–51–03/2009/तीन/ 1705 भोपाल, दिनांक 29/12/2009

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त
(म0प्र0)

विषयः–पंच पद के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने बावत् ।
सन्दर्भः–(1) आयोग का आदेश क्रमांक एफ–70–30–2003–तीन–888, दिनांक 22 सितम्बर 2004
(2) आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ–51–3/2004/तीन/1895, दिनांक 22–12–2004
(3) आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ–51–3/2009/तीन/1664, दिनांक 24–12–2009

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें ।

त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ग्राम पंचायत के पंच के स्थान को भरने के लिये नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है । आयोग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय जिलों में पंच पद के अभ्यर्थियों से भी घोषणा पत्र के स्थान पर शपथ–पत्र की मांग की जा रही है जो आयोग के निर्देशों के अनुरुप नहीं है ।

2/ **आयोग द्वारा जारी निर्देशों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पंच पद का निर्वाचन लड़ने अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना है, किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना है** । इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पंच पद के निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र शपथ पत्र के अभाव में निरस्त न किये जाये ।

3/ आयोग के उक्त निर्देशों को निर्वाचन कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों को प्रसारित करने का कष्ट करें जिससे अनावश्यक रूप से पंच पद के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त न किये जाये ।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(अनुपम राजन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
फोन नं0 0755–2555527